

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची - 834001
विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति
की अंतिम तिथि-28.02.2018

विज्ञापन संख्या-01/2018

झारखण्ड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सकों के विभिन्न पदों पर
नियमित नियुक्ति परीक्षा

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा झारखण्ड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक के निम्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अध्यायना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में Online आवेदन पत्र (आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध) आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. (क) (i) पद का नाम- स्त्री रोग विशेषज्ञ (Gynaecologist)

(ii) विभाग द्वारा अध्यायित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	Vertical Reservation No. of vacancies	Horizontal Reservation against total vacancy					
			Primitive Tribe	Women	Handicapped			
Sports	Blind	Deaf & Dumb			Locomotive			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Unreserved	26	Horizontal reservation of Primitive Tribes 00	1 (ST/SC/ BC-I/ BC-II)	01	00	00	02
ii	SC	05						
iii	ST	14						
iv	BC-I	04						
v	BC-II	03						
Total of (i) to (v)		52	00	01	01	00	00	02

(ख) (i) पद का नाम- निश्चेतक (Anaesthetist)

(ii) विभाग द्वारा अध्यायित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	Vertical Reservation No. of vacancies	Horizontal Reservation against total vacancy					
			Primitive Tribe	Women	Handicapped			
Sports	Blind	Deaf & Dumb			Locomotive			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Unreserved	39	Horizontal reservation of Primitive Tribes 01	ST-01 SC/BC-I/ BC-II - 01	01	00	00	03
ii	SC	08						
iii	ST	20						
iv	BC-I	06						
v	BC-II	05						
Total of (i) to (v)		78	01	02	01	00	00	03

(ग) (i) पद का नाम— फिजीशियन (Physician)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	Vertical Reservation No. of vacancies	Horizontal Reservation against total vacancy					
			Primitive Tribe	Women	Handicapped			
					Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Unreserved	111	Horizontal reservation of Primitive Tribes 01	ST-03, SC-01, BC-I/BC-II-01	04	00	00	07
ii	SC	22						
iii	ST	58						
iv	BC-I	18						
v	BC-II	13						
Total of (i) to (v)		222	01	05	04	00	00	07

(घ) (i) पद का नाम— सर्जन (Surgeon)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	Vertical Reservation No. of vacancies	Horizontal Reservation against total vacancy					
			Primitive Tribe	Women	Handicapped			
					Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Unreserved	17	Horizontal reservation of Primitive Tribes 00	ST/SC/BC-I/BC-II-01	00	00	00	02
ii	SC	04						
iii	ST	09						
iv	BC-I	02						
v	BC-II	02						
Total of (i) to (v)		34	00	01	00	00	00	02

नोट :- कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

- वेतनमान — PB-II, ग्रेड वेतन रू० - 5400 (नियुक्ति के समय चार अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्नातकोत्तर डिग्रीधारकों को तथा तीन अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारकों को देय होगा।)
- पद — स्थायी
- परीक्ष्यमान अवधि — 2 (दो) वर्ष
- अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता :- सीधी नियुक्ति की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए आवेदक को भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित Branch में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा यथा एम०डी०, एम०एस०, डी०एन०बी० अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री यथा एम०सी०एच०, डी०एम० की डिग्री प्राप्त करना तथा चिकित्सक के रूप में निर्बंधित होना आवश्यक होगा।

6. उम्र सीमा की संदर्भ तिथि :- 01.08.2017

(क) न्यूनतम उम्र सीमा - 25 वर्ष।

(ख) अधिकतम उम्र सीमा - स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-173(3) दिनांक-24.02.2016 के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
1.	अनारक्षित	40 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)	42 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित /अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II).	43 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	45 वर्ष

- (ग) झारखण्ड राज्य की अनारक्षित श्रेणी के महिलाओं को अधिकतम उम्र सीमा (40 वर्ष से अधिक तथा 43 वर्ष से कम) का लाभ प्राप्त करने हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-4650 दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का विवरण ऑनलाईन आवेदन में भरना अनिवार्य होगा तथा स्वअभिप्रमाणित प्रति कंडिका-12(थ) में दिए गए निदेशानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।
- (घ) झारखण्ड राज्य से बाहर अन्य किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश की अनारक्षित श्रेणी के महिलाओं को अधिकतम उम्र सीमा (40 वर्ष से अधिक तथा 43 वर्ष से कम) का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के निर्णय से प्रभावित होगा।
- (ङ.) दिव्यांगों को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट देय है।
- (च) निःशक्तजन के आरक्षण के लिए निःशक्तता की मात्रा :- केवल ऐसे अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो तथा उसे विहित चिकित्सा प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। निःशक्तता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। विहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर विज्ञापन के साथ उपलब्ध है।
- (छ) भूतपूर्व सैनिकों (Ex- Service men) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट देय है।
- (ज) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक-360 दिनांक-21.01.2003 के अनुसार झारखण्ड राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मों जिन्होंने लगातार तीन वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट देय है।

7. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-** विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा। रिक्ति/रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आरक्षण कोटिवार रिक्ति/रिक्तियों के पांच गुणा उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के लिए कुल 100 अंक होंगे। इन 100 अंकों का निर्धारण निम्नवत् होगा :-
- (क) स्नातकोत्तर में प्राप्तांक - कुल 60 अंक
- (ख) स्नातकोत्तर से उच्चतर डिग्री यथा डी0 एम0/एम0सी0एच0 - कुल 10 अंक
अथवा समकक्ष डिग्री (भारतीय चिकित्सा परिषद् से अनुमान्यता प्राप्त हो)
यह अंक समान रूप से स्नाकोत्तर से उच्चतर डिग्री धारक को दिया जायेगा।
- (ग) मौखिक साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा - कुल 30 अंक

8. **न्यूनतम अर्हतांक :-**

साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा परीक्षा में सफलता के लिए निम्नलिखित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा :-

अनारक्षित	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)	36.5 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

9. **आरक्षण का लाभ :-**

- (क) ऑनलाइन (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को (राज्य सरकार के पत्रांक- 6763 दिनांक- 05.08.2016 के अनुसार) झारखण्ड राज्य के **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (ग) झारखण्ड राज्य के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि तथा प्राधिकार का विवरण ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा **अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अनारक्षित कोटि के लिए अनुमान्य होगी।**
- (घ) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी अनारक्षित कोटि के लिए अनुमान्य होगी। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है। निर्धारित विहित प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ङ) संबंधित जाति प्रमाणपत्र की **स्पष्ट एवं पठनीय** स्वहस्ताक्षरित प्रति अन्य वांछित प्रमाणपत्रों के साथ विज्ञापन की कण्डिका **12(थ)** के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा।
- (च) आरक्षण से संबंधित कण्डिकाओं में दिए गए अनुदेशों का अक्षरशः पालन नहीं किए जाने पर उम्मीदवारी अनारक्षित कोटि हेतु मानी जाएगी।
- (छ) साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन में दिए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

(ज) आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-

(I) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति :-

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति कोटि एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-5682 दिनांक 22.10.2008 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-1 में आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :-

झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-10007 दिनांक 29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-II (ननक्रीमीलेयर सहित) में आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत वैध (Valid) एवं अद्यतन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(झ) खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-1709 दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी -II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

प्रतियोगिता का स्तर	उपलिब्ध
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

10. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- Impersonating, or
- Procuring impersonation by any person, or
- Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- Using unfair means during the test, or

- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11. परीक्षा शुल्क:-

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ii) अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- (iii) परीक्षा शुल्क में छूट- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

12. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (क) **Online** आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है, परंतु कंडिका-12(थ) में निहित निदेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित **Hard Copy** निर्धारित तिथि तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

- (ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (ग) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (घ) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ङ) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :-
- (च) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.— 0651/2213009 संपर्क किया जा सकता है।
- (छ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।
- (ज) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (झ) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (ञ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।
- (ट) जन्म तिथि— आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें
- ठ) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, चिकित्सा परिषद द्वारा निर्गत स्थायी निबंधन प्रमाण पत्र, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, झारखण्ड राज्य के अनारक्षित श्रेणी की महिला अभ्यर्थी (40 वर्ष से अधिक तथा 43 वर्ष से कम) हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे। अन्तर्वीक्षा के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (ड) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ढ) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ण) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (त) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

- (थ) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति **Hard Copy** आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे:-
- जन्म तिथि के लिए मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र,
 - भारतीय चिकित्सा परषद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा यथा- एम0डी0, एम0एस0, डी0एन0बी0 अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री यथा एम०सी०एच०, डी०एम० की डिग्री
 - चिकित्सा परिषद द्वारा निर्गत स्थायी निबंधन प्रमाण पत्र
 - जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
 - झारखण्ड राज्य की अनारक्षित श्रेणी की महिला उम्मीदवार (40 वर्ष से अधिक तथा 43 वर्ष से कम) हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
 - मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
 - अनापत्ति प्रमाण पत्र (झारखण्ड सरकार के स्थायी सेवकों को उम्र सीमा में छूट हेतु)
 - विकलांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट हेतु) तथा
 - भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (उम्र सीमा में छूट हेतु)
 - उक्त प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में दिनांक-09.03.2018 तक अनिवार्य रूप से "परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001" के पते पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या- 01/2018 तथा परीक्षा का नाम यथा- "गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक नियमित नियुक्ति परीक्षा" मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

13. अंतिम तिथि :-

- आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक 15.01.2018 से 28.02.2018 रात 11:45 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं
- सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र Online Application System के माध्यम से दिनांक-28.02.2018 रात्रि 11.45 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे।
- उक्त कंडिका-12 (थ) के अनुसार Online आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय में स्पीड-पोस्ट/निबंधित डाक/या हाथोंहाथ आयोग कार्यालय में प्राप्ति की अंतिम तिथि-09.03.2018 होगी।
- दिनांक-28.02.2018 के बाद दिनांक-03.03.2018 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/-

सचिव

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।